

प्रक्रिया : देश के भीतर दत्तक-ग्रहण (अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे) (ORPHAN, ABANDONED AND SURRENDERED CHILDREN)

01 भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) द्वारा अभिहित पोर्टल (CARINGS) पर पंजीकरण करना और 30 दिनों के भीतर दस्तावेज अपलोड करना (अनुसूची VI भाग-1)।

विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) / जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा 60 दिनों के भीतर भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) की गृह अध्ययन रिपोर्ट (HSR) तैयार करना और उसे पोर्टल पर अपलोड करना (अनुसूची VII)।

03 भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) को बच्चे का ऑनलाइन रेफरल भेजा जाएगा, जिसे वे 48 घंटों के भीतर आरक्षित कर सकते हैं।
{भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) इन 3 टैब से बच्चे सीधे तौर पर आरक्षित कर सकते हैं :
(i) तत्काल प्लेसमेंट (ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (iii) भारतीय निवासी (RI) / अनिवासी भारतीय (NRI) / भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक (OCI) के लिए 7 दिन}

दत्तक-ग्रहण समिति की बैठक : आरक्षित किए गए बच्चे के साथ भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) की उपयुक्तता का आकलन करना। बैठक का कार्यवृत्त अनुसूची XXVII के अनुसार तैयार किया जाना।

05 बच्चे को आरक्षित करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) का आरक्षित बच्चे से मिलान एवं उनके द्वारा बच्चे को स्वीकृत किया जाना।
दत्तक-पूर्व पोषण देखरेख (PAFC) : भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) द्वारा बच्चे को अपने साथ ले जाना (अनुसूची VIII)

विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा 5 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण के आवेदन को दाखिल करना और जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा 5 दिनों के भीतर उसकी जांच करना (अनुसूची IX भाग-1 और अनुसूची XXVIII)।

07 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिनों के भीतर दत्तक-ग्रहण आदेश जारी करना (अनुसूची XXXIII)।
जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा दत्तक-ग्रहण आदेश को पोर्टल पर अपलोड करना।

दत्तक-पूर्व पोषण देखरेख (PAFC) की तिथि से 2 वर्ष तक विशिष्ट दत्तक-ग्रहण अभिकरण (SAA) / जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई (अनुसूची XII)।



संदर्भ: दत्तक-ग्रहण विनियम, 2022 का अध्याय III

अभिहित पोर्टल: बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)

कारा हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-311 [सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]

CARA HelplineNo.: 1800-111-311 [Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays)]

ईमेल/E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट/Website: https://cara.wcd.gov.in, CARINGS: https://carings.wcd.gov.in

PROCEDURE : IN-COUNTRY ADOPTION (ORPHAN, ABANDONED AND SURRENDERED CHILDREN)

01 Registration by PAPs on Designated Portal & uploading of documents within 30 days (Schedule VI Part-1)

Home Study of PAPs by SAA/ DCPU within 60 days & uploading the same on portal (Schedule VII) **02**

03 Online referral of child to PAPs which is to be reserved by PAPs within 48 hours. {PaPs can also reserve child directly through Immediate Placement/Special Needs/ Seven Days for RI/NRI/OCI PAPs Tab}

Adoption Committee Meeting: Assessment of suitability of PAPs with the child reserved. Minutes of the meeting as per Schedule XXVII **04**

05 Matching of reserved child & acceptance by PAPs on Portal within 30 days from date of reservation of child.
PAFC - Physical Custody of Child (Schedule VIII)

Filing of Adoption Application by SAA within 5 days & scrutiny by DCPU within 5 days (Schedule IX Part-1 & Schedule XXVIII) **06**

07 DM issues Adoption Order within 60 days (Schedule XXXIII).
DCPU uploads Adoption Order on Portal

Post Adoption Follow-up by SAA/DCPU for 2 years w.e.f. the date of PAFC (Schedule XII) **08**



Reference: Chapter III of Adoption Regulations, 2022

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

PAFC: Pre-Adoption Foster Care | DCPU: District Child Protection Unit | DM: District Magistrate
NRI: Non-Resident Indian | OAS: Orphan, Abandoned or Surrendered | OCI: Overseas Citizen of India
PAP: Prospective Adoptive Parents | SAA: Specialised Adoption Agency

पश्चिमी खंड-8, विंग-2, द्वितीय तल, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 (भारत) West Block-8, Wing-2, 2nd Floor, R.K. Puram, New Delhi-110066 (India)

कारा हेल्पलाइन नंबर: 1800-111-311 [सोमवार से शुकवार प्रातः 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक (राजपत्रित अवकाश को छोड़कर)]

CARA HelplineNo.: 1800-111-311 [Available between 8:00 AM to 8:00 PM (Mon-Fri, Except Gazetted Holidays)]

ईमेल/E-mail: carahdesk.wcd@nic.in, वेबसाइट/Website: <https://cara.wcd.gov.in>, CARINGS: <https://carings.wcd.gov.in>